प्राधिकरण की 123वीं बैठक का कार्यवृत्त
MINUTES OF THE 123rd MEETING OF THE AUTHORITY

18 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे हैदराबाद में आयोजित
held on 18th August 2023 at 11.30 AM at Hyderabad

उपस्थित:

अध्यक्षः	श्री देबाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्यः	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्यः	श्रीमती एस. एन. राजेश्वरी
पूर्णकालिक सदस्यः	श्री राकेश जोशी
पूर्णकालिक सदस्यः	श्री थॉमस देवसिया
पूर्णकालिक सदस्यः	श्री बी. सी. पटनायक
अंशकालिक सदस्यः	डॉ. मारुति प्रसाद तन्गिराला
अंशकालिक सदस्यः	सीए अनिकेत सुनील तलाटी

Present:

Chairperson	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Smt. S.N. Rajeswari
Whole-time Member	Shri Rakesh Joshi
Whole-time Member	Shri Thomas Devasia
Whole-time Member	Shri B.C Patnaik
Part-time Member	Dr. Maruthi Prasad Tangirala
Part-time Member	CA Aniket Sunil Talati

साथ ही, उपस्थित:

पदनामित अधिकारीः	श्रीमती बी. पद्मजा
बोर्ड सचिवालयः	श्री रोनंकी वेंकटेश

Also present:

Designated Officer	Smt. B Padmaja
Board's Secretariat	Shri Ronanki Venkatesh

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने श्री सुचीन्द्र मिश्र, अपर सचिव, डीएफएस, एमओएफ के योगदान को अभिलेखबद्ध किया, जो 28 जून, 2023 तक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य थे तथा डा. मारुति प्रसाद तन्गिराला, अपर सचिव, डीएफएस, एमओएफ का स्वागत किया जो 28 जुलाई, 2023 से अंशकालिक सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं और जो बैठक में पहली बार उपस्थित हो रहे हैं। यह पता लगाने के बाद कि गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, अध्यक्ष महोदय ने बैठक प्रारंभ की।

अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2023 तक संगृहीत प्रीमियम के तौर पर उद्योग के कार्यनिष्पादन का उल्लेख किया जो रु. 3.14 लाख करोड़ था और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 5% की वृद्ध दर दर्शा रहा था। जबकि साधारण बीमाकर्ताओं ने 17% पर वृद्धि की है, वहीं स्वास्थ्य खंड में वृद्धि-दर 24% थी जहाँ पाँच स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 27% की वृद्धि -दर दर्ज की। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (एयूएम) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में विद्यमान रु. 54 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु. 60 लाख करोड़ हैं, जो 11% की वृद्धि दर्ज करती हैं।

अध्यक्ष महोदय के प्रारंभिक वक्तव्य के बाद, कार्यसूची की मदों पर विचार किया गया।

4. आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023

4.1 विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस) और आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओएस) सहित भारतीय़ बीमाकर्ताओं और भारतीय़ पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू विभिन्न विनियमों के उपबंधों को सुमेलित करने; तथा भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित विनियमों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता हैः

1. आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
2. आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015
3. आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016

4.2. प्रस्तावित संशोधनों में पुनर्बीमा व्यवसाय के स्थानन का प्रस्ताव करते समय अधिमान के क्रम की श्रेणियों का छह से चार तक संशोधन करना; आईएफएससीए विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के साथ आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओएस) के लिए लागू उपबंधों का सुयोजन करना; नये एफआरबीएस के लिए समनुदेशित पूँजी की सीमा रु. 100 करोड़ से रु. 50 करोड़ तक घटाना; आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के उपबंधों के साथ वार्षिक शुल्क से संबंधित उपबंधों को सुयोजित करना शामिल हैं।

4.3 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

6. आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के अंतर्गत प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन

6.1 यह प्रस्तुत किया गया कि आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 ने आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 को निरस्त किया। संबंधित विषयों की परिचालनात्मक शीघ्रता के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने की आवश्यकता है।

6.2 प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

8. विभिन्न विनियमों के द्वारा प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों और अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजन

8.1 यह प्रस्तुत किया गया कि निम्नलिखित विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण की शक्तियों, जो प्राधिकरण की पूर्व की बैठकों में प्रत्यायोजित की गई थीं, को विषय के अधिक शीघ्रतर निपटान तथा परिचालनगत कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए तथा निम्नानुसार नये सिरे से कुछ निर्धारणों में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अपेक्षा करते हुए संशोधित करने का प्रस्ताव हैः

विनियम / दिशानिर्देश	प्रस्ताव
1. आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018	संशोधन
2. आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015	
3. आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016	
4. आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015	
5. आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015	
6. आईआरडीएआई (वेब संग्राहक) विनियम, 2017	
7. बीमा भंडारों और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी दिशानिर्देश, 2015	
8. बीमा ई-कामर्स संबंधी दिशानिर्देश, 2017	
9. आईआरडीएआई (सामान्य लोक सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019	प्रत्यायोजन की अपेक्षा की जाती है
10. मोटर बीमा सेवा प्रदाता संबंधी दिशानिर्देश, 2017	

8.2 यह चर्चा की गई कि उक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार किया जाएः

क. अनुबंध ख – आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

क्र.सं.	विनियम सं.	शक्ति का स्वरूप	वर्तमान प्रत्यायोजन	कार्यसूची में प्रस्ताव	प्रत्यायोजन में परिवर्तन
17	28	28 – कारपोरेट एजेंट के पंजीकरण के अभ्यर्पण को स्वीकार करना	सदस्य	अध्यक्ष के द्वारा प्राधिकृत 2 पूर्ण- कालिक सदस्यों का पैनल	विभाग-प्रमुख

ख. लाभांशों का प्रत्यावर्तन

क्र.सं.	विनियम सं.	शक्ति का स्वरूप	वर्तमान प्रत्यायोजन	प्रत्यायोजन में परिवर्तन
1	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 21क के अंतर्गत अनुसूची एए का खंड 3	लाभांश का प्रत्यावर्तन करने के लिए प्राधिकरण की पूर्व	-	सदस्य
2	आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 के विनियम 8क के अंतर्गत अनुसूची एए का खंड 3			
3	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का			

	पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 6क के अंतर्गत अनुसूची एए का खंड 3	अनुमति		
4	आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 8क के अंतर्गत अनुसूची एए का खंड 3			
5	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनिय़म 4क के अंतर्गत अनुसूची एए का खंड 3			
6	आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 6क के अंतर्गत अनुसूची एए का खंड 3			

8.3 प्राधिकरण ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, ऊपर पैरा 8.2 में सुझाये गये परिवर्तनों सहित, उक्त कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

9. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

सारणी मद सं. 2: बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन

2.1 यह प्रस्तुत किया गया कि अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त, 2021 के अनुसार नियुक्त बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) के सदस्यों की कार्यावधि आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2000 के विनियम 3क के अनुसार 9 अगस्त, 2023 तक समाप्त होती है। अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2022 के अनुसार नियुक्त दो सदस्यों की कार्यावधि 3 मई, 2024 तक जारी है। इस स्थिति के होते हुए, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 25(1) के अनुसार, आईएसी का पुनर्गठन किया जाना है।

2.2 सदस्यों के द्वारा पूर्व की संरचना, जहाँ बहुसंख्यक सदस्य उद्योग से ही लिये गये थे, के स्थान पर आईएसी की संरचना को विस्तृत आधार से युक्त बनाने की आवश्यकता व्यक्त की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ, जो अपने क्षेत्र के ज्ञान और अपनी विशेषज्ञता के आधार पर बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए योगदान कर सकते हैं, नियुक्त किये जाएँ और सभी हितधारकों की उचित सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए।

2.3 तदनुसार, कार्यसूची में प्रस्तावित रूप में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों के प्रतिनिधियों को आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2000 के विनियम 3क के अनुसार आईएसी के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किय़ा गया।

2.4 इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित बैठक शुल्क (नाम से नियुक्त सदस्यों के लिए), यात्रा और आवास सीमाएँ अनुमोदित की गईं:

क. रु. 20,000/- की बैठक शुल्क प्रति बैठक और (प्लस) प्रासंगिक व्यय
ख. अनुमत यात्राः बिजनेस श्रेणी (सीधा/निकटतम मार्ग), यदि उपलब्ध हो
ग. आवास की सीमाएँ : अधिकतम रु. 15000/- प्रति दिन (कर सहित)

The Chairperson extended a warm welcome to all the Members present. The Chairperson placed on record contributions of Shri Suchindra Misra, Additional Secretary, DFS, MoF, who was the Part Time Member of the Authority until 28th June 2023 and extended welcome to Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Additional Secretary, DFS, MoF who is nominated as a Part Time Member from 28th June 2023 and who was attending the meeting for the first time. After ascertaining that requisite quorum was present, the Chairperson started the meeting.

In his brief opening remarks, the Chairperson touched upon the industry's performance in terms of premium garnered upto July 2023 which was Rs.3.14 lakh crore with a growth rate of 5% over the corresponding period previous year. While the general insurers grew at 17%, the growth rate in the health segment was 24% with the five standalone health insurers recording a growth rate of 27%. The Assets Under Management (AUM) of the Industry as on 31st March 2023 are around Rs. 60 lakh crore as compared to Rs. 54 lakh crore at the end of previous financial year, registering a growth of 11%.

After the brief opening remarks of the Chairperson, agenda items were taken up.

4. IRDAI (Re-Insurance) (Amendment) Regulations, 2023

4.1 With the objective to enable harmonizing the provisions of various regulations applicable to Indian Insurers and Indian Re-Insurers including Foreign Re-Insurance Branches (FRBs) and IFSC insurance Offices (IIOs); and encourage more reinsurers to set up business in India and to enhance ease of doing business; it is proposed to amend the following Regulations:

1. IRDAI (Re-Insurance) Regulations, 2018
2. IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Re-Insurers other than Lloyd's) Regulations, 2015
3. IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016

4.2 The proposed amendments included revising the categories of order of preference from six to four while offering placement of the reinsurance business; aligning provisions applicable to IFSC Insurance Office (IIOs) with corresponding provisions of IFSCA Regulations; reducing assigned capital limit for new FRBs from Rs. 100 crore to Rs. 50 crore; aligning provisions related to annual fee with the provisions of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022.

4.3 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

6. Delegation of Powers of the Authority under IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022

6.1 It was presented that the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022 has repealed the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017. There is a need for delegation of powers for operational expediency of the relevant matters.

6.2 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item.

8. Delegation of powers of the Authority vested in it through various Regulations, to the Chairman/Members and other Officers of the Authority

8.1 It was presented that the Powers of the Authority under the following regulations which were delegated in the earlier Authority meetings are proposed to be revised for speedier disposal of the matter and to ensure operational efficiency, while also seeking delegation of powers in few stipulations afresh, as under:

Regulations/Guidelines	Proposal
1. IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018	Revision
2. IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015	
3. IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016	
4. IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015	
5. IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015	
6. IRDAI (Web Aggregators) Regulations, 2017	
7. Guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of insurance policies, 2015	
8. Guidelines on Insurance e-commerce, 2017	
9. IRDAI (Insurance Services by Common Public Service Centres) Regulations, 2019	Seeking delegation
10. Guidelines on Motor Insurance Service Provider, 2017	

8.2 It was discussed that the following changes in the proposal may be considered:

a. Annexure B – IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

Sl.No.	Regulation No.	Nature of Power	Current Delegation	Proposal in the Agenda	Change in Delegation
17	28	28 – To accept surrender of registration of corporate agent	Member	Panel of 2 who whole time Members designated by the Chairperson	HoD

b. Repatriation of dividends

Sl.No.	Regulation No.	Nature of Power	Current Delegation	Change in Delegation
1	Clause 3 of Schedule AA under Regulation 21A of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018	Prior permission of the Authority for repatriating dividend	-	Member
2	Clause 3 of Schedule AA under Regulation 8A of IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017			
3	Clause 3 of Schedule AA under Regulation 6A IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015			
4	Clause 3 of Schedule AA under Regulation 8A IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015			
5	Clause 3 of Schedule AA under Regulation 4A of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015			
6	Clause 3 of Schedule AA under Regulation 6A of IRDAI (Third Party			

	Administrators-Health Services) Regulations, 2016			

8.3 The Authority, after due deliberations, approved the agenda item with the changes suggested at para 8.2 above.

9 Any other item with permission of the Chair

Table Item No. 2: Reconstitution of Insurance Advisory Committee

2.1 It was presented that the term of members of Insurance Advisory Committee (IAC) appointed vide notification dated 5th August 2021, ends by 9th August 2023 in terms of Regulation 3A of the IRDA (Insurance Advisory Committee) Regulations 2000. The tenure of two members appointed vide notification dated 4th May 2022 continues till 3rd May 2024. As such in terms of section 25 (1) of the IRDA Act 1999, IAC is to be reconstituted.

2.2 In place of the earlier composition where majority of the members were from the industry, a need was expressed by Members for broad basing the composition of IAC, wherein experts from various fields, who can contribute for growth and development of the sector based on their domain knowledge and expertise are appointed and a fair participation of all stakeholders is also ensured.

2.3 Accordingly, experts from various fields and representatives from stakeholders as proposed in the agenda were approved, to be appointed as members of IAC in terms of Regulation 3A of the IRDA (Insurance Advisory Committee) Regulations, 2000.

2.4 Further, the following sitting fee (for members appointed by name), travel and accommodation limits were approved:

a. Sitting fee of Rs. 20,000/- per meeting plus incidentals
b. Permitted Travel: Business Class (Direct/Shortest Route), if available
c. Accommodation Limits: Maximum of Rs.15000/- per day (including taxes)

सभी सदस्यों के प्रति आभार-प्रदर्शन के साथ बैठक समाप्त हुई।
The meeting ended with a vote of thanks to all Members.

अध्यक्ष
CHAIRPERSON